राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( ) नियम/डीएलबी/17/14542 जयपुर,दिनांकः 11/5/17

परिपत्र

यह देखने में आया है कि राज्य की नगरीय निकायो में विवाह स्थलो के संचालन हेतु पंजीयन उपविधियों के तहत जो लाईसेन्स दिये जाते है उनमें पंजीयन उपविधियो की पालना नहीं की जा रही है तथा कुछ विवाह स्थल बिना लाईसेन्स के अवैध रूप से संचालित किये जा रहे है, जो बहुत ही गंभीर विषय है। इस संबंध में निम्न दिशा–निर्देश दिये जाते हैः–

1. नगरीय निकाय क्षेत्र में कोई विवाह स्थल बिना लाईसेन्स के संचालित नहीं किया जावे यदि कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति प्राप्त किये विवाह स्थल संचालित करता है तो उसको तत्काल प्रभाव से सीज किया जावे एवं संबंधित के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही भी की जावे।
2. जिन विवाह स्थलो को नगरीय निकाय द्वारा लाईसेन्स दिया जाता है उन में यह सुनिश्चित किया जावे कि सक्षम स्तर से फायर की एन.ओ.सी. प्राप्त कर ली गई है तथा पार्किंग की समुचित व्यवस्था उपविधियो के प्रावधानानुसार उपलब्ध है।
3. विवाह स्थल संचालित किये जाने हेतु प्रस्तावित (स्थायी निर्माण एवं अस्थायी ढांचा दोनो) भवन की पूर्ण जांच की जावे तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता से यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे कि भवन विवाह स्थल संचालन के लिये पूर्णतया सुरक्षित है तथा इसमें विवाह स्थल के संचालन से किसी भी प्रकार का जान–माल का खतरा नही है।
4. विवाह स्थल का लाईसेन्स दिये जाते समय लाईसेन्स में यह भी अंकित किया जावे कि विवाह स्थल कितने व्यक्तियो की क्षमता का है तथा समय–समय पर इस बात का निरीक्षण भी किया जावे और यदि विवाह स्थल द्वारा क्षमता से अधिक व्यक्तियो हेतु समारोह आयोजित किया जा रहा है तो ऐसे विवाह स्थलो का लाईसेन्स निरस्त कर सीज करने की कार्यवाही की जावे।
5. विवाह स्थल पर अनुज्ञा–पत्र धारी को स्वयं के खर्चे पर समुचित गार्डो की व्यवस्था करनी होगी।
6. विवाह स्थल के प्रवेश एवं निकास हेतु अलग–अलग द्वार होने चाहिए।

नगरीय निकाय क्षेत्रो में जो विवाह स्थल संचालित है संबंधित आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी उनकी जांच करवा कर उपरोक्त प्रावधानो की पालना हेतु लिखित में नोटिस जारी करेगे तथा 10 जून, 2017 तक यदि विवाह स्थल संचालक द्वारा उपरोक्त प्रावधानो की पालना का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऐसे विवाह स्थलो को तत्काल सीज किया जावे। एवं सभी आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी अपने–अपने संबंधित क्षेत्र में संचालित विवाह स्थलो की सूचना संलग्न प्रारूप में 15 जून, 2017 तक राज्य सरकार को भिजवाया जाना भी सुनिश्चित करे।

उक्त आदेशो की पालना तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जावे।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )याचिका/डीएलबी/17/14543-14993 जयपुर,दिनांकः 11/5/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक,मा.मंत्रीमहोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
3. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
4. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राज0जयपुर
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,नगरनिगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
7. निजी सहायक, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
8. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

विवाह स्थल जांच विवरण

क्र. सं.	विवाह स्थल का नाम व स्थान	क्षेत्रफल	विवाह स्थल के सामने सडक की चौडाई	पार्किंग सुविधा क्या स्वयं की है तथा क्या पर्याप्त है।	निकासी द्वार एवं प्रवेश द्वार पृथक है या नहीं	विवाह स्थल के भवन मण्डप का निर्माण कैसा है। स्थायी/अस्थायी	अग्निशमन साधनो की पर्याप्त व्यवस्था है अथवा नहीं	विवाह स्थल कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है।	विवाह स्थल पर कितने गार्ड लगे हुये है।	सफाई की व्यस्था उपयुक्त/अनुपयुक्त	विवाह स्थल अनुमति योग्य है अथवा नहीं	यदि नहीं तो सीज किया है अथवा नहीं	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14